सं. 14/4/2017-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून, 2017

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय: 3 जुलाई, 2017 को आयोजित की जानेवाली ईओयू स्कीम हेतु अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 4थीं बैठक (2017 सीरीज)-एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 3 जुलाई, 2017 को प्रात: 11.30 बजे, कमरा सं. 47, उद्योग भवन में आयोजित की जानेवाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 4थीं बैठक (2017 सीरीज) हेतु एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि

(आदित्य नारायण)
अवर सचिव
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : aditya.n@nic.in

1.औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3.सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5.संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8.सभी डीसी

प्रतिलिपि: सचिव के पीएसओ/एएस(एवीसी) के पीपीएस/निदेशक (टीवीआर) के निजी सचिव

**दिनांक 03.07.2017 को प्रात:11:30 बजे आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए 4थीं बीओए बैठक (2017 सीरीज) हेतु एजेंडा**

**4.1 (17 ) दिनॉक 12.05.2017 को आयोजित 3री बीओए (201 7 सीरीज) के मिनटों की पुष्टि।**

**4.2 (17) औद्योगिक लाइसेंस की मॉग करने वाले ईओयू की स्थापना हेतु मैसर्स अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन।**

**मैसर्स अल्फा डिजाइन टेक्नोलाजीज प्रा.लि. का प्रस्ताव ग्राउण्ड फ्लोर, अल्फा पोर्सन, एनएसआईसी-ईएमडीबीपी भवन, कमला नगर, कुशीगुडा, कसीरा मण्डल, मेडचल जिला, तेलंगाना में "इंटीग्रेटेड सीकर फ्लाइट " के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 100% ईओयू की स्थापना हेतु औद्योगिक लाईसेंस जारी करना है। प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले निम्नलिखित विभागों / राज्य सरकार की टिप्पणियॉ निम्नलिखित है:**

| क्र.सं. | विभाग | टिप्पणियॉ |
|---|---|---|
| 1 | डीसी, वीएसईजेड | दिनॉक 09.12.2016 के पत्र के जरिये डीसी,वीएसईजेड द्वारा यह सूचित किया गया कि इकाई ने 15,580.25 लाख रू. के निर्यातों, 7,822.66 लाख रू. के विदेशी विनिमय व्यय का अनुमान लगाया है और एनएफई 7,757.59 लाख रू. है। डीसी ने सिफारिश की है कि ईओयू की स्थापना करने के लिए इकाई को आईएल जारी की जाएगी। |
| 2. | रक्षा उत्पादन विभाग | दिनॉक 30.12.2016 के का.ज्ञा. के जरिये डीओडीपी ने सूचित किया कि रक्षा उत्पादन में निजी भागीदारी पर स्थायी समिति ने लाइसेन्सिंग हेतु मानक नियम एवं शर्तों और रक्षा क्षेत्र एवं एमएचए की निकासी हेतु प्रयोज्य मौजूदा एफडीआई नीति दिशानिर्देशों के अध्यधीन एकीकृत सीकर फ्लाइट-एयरबोर्न राडार प्रणाली एवं कलपुर्जे के विनिर्माण के लिए कम्पनी हेतु आईएल के अनुदान की सिफारिश की है। कम्पनी से डीडीपी के वेबसाइट पर उपलब्ध सुरक्षा नियमावली में उल्लिखित श्रेणी "क" के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | गृह मंत्रालय | दिनॉक 03.03.2017 के का.ज्ञा. के जरिये, एमएचए ने मूल राष्ट्रीय सुरक्षा पैरामीटरों अर्थात देश की एकता, आखण्डता और सम्प्रभुता के संबंध में इकाई और इसके निदेशक अर्थात कर्नल एच एस शंकर, श्री ए मोहाना राव और श्री राकेश धार के संबंध में सुरक्षा निकासी संप्रेषित किया है। एमएचए द्वारा आगे यह उल्लेख किया गया कि एमओडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय समय पर एमओडी द्वारा जारी की गयी लाइसेंस प्राप्त रक्षा उद्योगों हेतु सुरक्षा नियमावली में निर्धारित सभी सुरक्षा निर्देशों/आर्किटेक्चर का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। |
| 4. | नागरिक उड्डयन विभाग | दिनॉक 09.03.2017 के पत्र के जरिये नागरिक उड्डयन महानिदेशक कार्यालय ने इकाई हेतु आईएल प्रदान करने के लिए "कोई आपत्ति नहीं" संप्रेषित किया है क्योंकि मद "एकीकृत सीकर फ्लाइट" वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट का हिस्सा नहीं है और यह रक्षा उपकरण के लिए है। |
| 5. | तेलंगाना सरकार | दिनॉक 15.05.2017 के पत्र के जरिये, उद्योग आयुक्तालय, हैदराबाद ने सूचित किया कि पुलिस महानिरिक्षक, खुफिया विभाग ने मेडचल जिला, तेलंगाना में "एकीकृत सीकर फ्लाइट" के विनिर्माण और निर्यात के लिए ईओयू की स्थापना करने के लिए इकाई को आइएल जारी करने की सिफारिश की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उद्योग आयुक्तालय ने इस शर्त के अधीन इकाई को आईएल प्रदान करने की सिफारिश की है कि इकाई सभी सांविधिक निकासी/अनुमोदन प्राप्त करता है। |

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एफटीपी 2015-20 का पैरा 6.07 (ग), जो कहता है कि औद्योगिक लाईसेंस की मॉग करने वाले ईओयू की स्थापना करने के लिए "प्रस्तावों को अनुमोदन 45 दिनों के भीतर बीओए एवं डीआईपीपी द्वारा प्रस्ताव की अनुमति के बाद डीसी द्वारा प्रदान की जाएगी।"

**उपर्युक्त के आधार पर, " एकीकृत सीकर फ्लाइट" के विनिर्माण और निर्यात के लिए औद्योगिक लाईसेंस प्रदान करने हेतु मैसर्स अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. का प्रस्ताव निर्णय हेतु बीओए के समक्ष रखा गया है।**

**भाग-II**

**1995 प्रेस नोट सं.3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन हेतु प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन**

| | | |
|---|---|---|
| **क** | **अप्रैल**, 2017 **से मई, 2017 के महीने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये** | **वीएसइजेड** |
| **ख** | **सितंबर**, 2016 **से मार्च, 2017 के महीने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये** | **एमईपीजेड** |